

राजस्थान सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्रमांक: सम्पर्क/ई-विलप/2017/11493-642

दिनांक: 08/07/19

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव /
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
समस्त विभागाध्यक्ष

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
अयरी संख्या: 3503
दिनांक: 10/7/19

विषय: समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित नकारात्मक खबरों के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ: विभाग का पत्र क्रमांक सम्पर्क/ई-विलप/2017/1197-1257 दिनांक 17.04.2017.

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय संदर्भित पत्र से समाचार पत्र/पत्रिकाओं में प्रकाशित भ्रामक और नकारात्मक समाचारों की तत्परता और सक्रियता से मॉनिटरिंग हेतु निर्देश जारी किये गये थे। उपरोक्त विषय में पुनः ध्यान आकर्षित किया जाकर उल्लेख है कि प्रायः यह देखने में आया है कि जिला स्तर पर समाचार पत्र/पत्रिकाओं में कई ऐसे भ्रामक और नकारात्मक समाचार प्रकाशित होते हैं, जो न केवल तथ्यों से परे होते हैं अपितु आधी-अधुरी जानकारी पर आधारित होते हैं। ऐसे समाचारों से आमजन में गलत संदेश जाता है और राज्य सरकार की रीति-नीति तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बारे में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।

विभागीय स्तर पर तत्परता और सक्रियता की आवश्यकता है। दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले भ्रामक और नकारात्मक समाचारों एवं सही वस्तुस्थिति के संधारण हेतु सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। इस हेतु जनसम्पर्क विभाग द्वारा "Online News Monitoring System" विकसित किया हुआ है। जिसका वेब एड्रेस "eclip.rajasthan.gov.in" है। इस सम्बन्ध में निम्नांकित व्यवस्था की गई है:-

1. राज्य सरकार के विभागों से सम्बन्धित आलोचनात्मक समाचार की कतरन प्रातः 12:00 बजे तक "eclip.rajasthan.gov.in" पर अपलोड कर इसके बारे में सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव एवं विभागाध्यक्ष को ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से भी सूचित किया जायेगा।
2. जिस नकारात्मक समाचार की कटिंग आपको प्राप्त होगी उसके बारे में उसी दिन सायं 4:00 बजे तक पूर्ण एवं तथ्यात्मक जानकारी सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के "Online News Monitoring System" पर सीधे ही अपलोड की जाएगी।
3. पूर्व में जिला स्तर पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को नोडल ऑफिसर नियुक्त किये गये हैं। नोडल अधिकारियों द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को संलग्न प्रपत्र में तथ्यात्मक जानकारी हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में प्रेषित की जाती है। यदि पूर्व में नियुक्त नोडल ऑफिसर बदल गये हैं तो वर्तमान में कार्य को देख रहे नोडल ऑफिसर को ई-मेल द्वारा यूजर आई.डी. और पासवर्ड उपलब्ध करवाया जाएगा। संलग्न प्रपत्र में वांछित जानकारी तत्काल विभाग की ई-मेल आई.डी. cnd.dipr@gmail.com पर प्रेषित करावें।
4. भविष्य में जब भी नोडल ऑफिसर के पदस्थापन/स्थानान्तरण के कारण कोई परिवर्तन होता है, तो तत्काल परिवर्तित नोडल ऑफिसर का विवरण विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
5. उपरोक्त कार्यवाही निरन्तर एवं नियमित रूप से निर्बाध सुनिश्चित की जावें।

संलग्न :- प्रपत्र।

www.rajteachers.com

CC E
J S H E
J S T E
J S H E
D S T

9/7/19

J. D. (Admin)

12/7/19

15/7/19

3379
15/7/19

(डी.बी. गुप्ता)
मुख्य सचिव

FORMAT

1.	Department Name :	
2.	Head of Department	Name :
		Mobile No. :
		E-Mail Id :
3.	Nodal Officer	Name :
		Mobile No. :
		E-Mail Id :
4.	Contact Person 2	Name :
		Mobile No. :
		E-Mail Id :